न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : मनसुख राम डामोर, RAS

पत्रावली संख्या : **22/24 (विविध)**

GCMS No. : 2024/85

अनवान्

1. श्री कन्हैयालाल पिता नन्दा जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी धूणीमाता नाहरमगरा, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)

.....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार घासा जिला उदयपुर (राज०)
2. पटवारी, पटवार हल्का धुणीमाता नाहरमगरा, जिला उदयपुर (राज०)

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री कन्हैयालाल डांगी, अधिवक्ता प्रार्थी।

2. राजपेरोकार तहसीलदार घासा, विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 133 भू राजस्व अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 05.08.2024

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 131, 133 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा धुणीमाता, पटवार हल्का नाहरमगरा, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०) में किस्म आबादी आराजी नम्बर 5115/2034 रकबा 0.6556 हैक्टेयर भूमि स्थित हैं जो कि ग्राम पंचायत नान्दवेल के नाम पर खातेदारी में दर्ज हैं।
2. यहकि प्रार्थना पत्र में वर्णित आबादी भूमि में से पूर्व से पश्चिम 100 फीट एवं उत्तर से दक्षिण 82.5 फीट कुल 8250 वर्गफीट भूमि जिसके पड़ौस पूर्व में स्वयं की भूमि, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में रामचन्द्र खटीक का मकान, दक्षिण में जगन्नाथ खटीक का मकान। उपरोक्त चारो पड़ौसो मध्य की आबादी भूमि की ग्राम पंचायत नान्दवेल ने विस्तृत जाँच की एवं पंचायत की संकल्प संख्या 01 दिनांक 23.12.2010 से 100/– एक सौ रूपया जमा कराने पर उक्त भूमि का बापी पट्टा मुझ प्रार्थी के पक्ष में जारी करने की स्वीकृति प्रदान की जिस पर मुझ प्रार्थी ने 100/– रूपये ग्राम पचायत में जमा कराये एवं ग्राम पंचायत ने उपरोक्त आबादी भूमि का बापी पट्टा संख्या 13911 दिनांक 23.12.2010 को मुझ प्रार्थी के पक्ष में जारी कर दिया गया। इस प्रकार उक्त आबादी भूमि मेरे कब्जे उपयोग उपभोग में निरन्तर निर्बाध रूप से चली आ रही है और मुझ प्रार्थी ने मेरी उक्त आबादी भूमि को विकसित करने के लिए काफी लागत लगाई है। मेरी उक्त भूमि में

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.08.07 17:04:51 IST
Reason: SelfAttested

अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक दखल अधिकार नही हैं। मेरा उक्त आबादी भूखण्ड मुझ प्रार्थी की वाणिज्यिक सम्परिवर्तन सुदा आराजी नम्बर 4713／2034 के सटमा हैं।

3. यहकि मैं प्रार्थी अपने पट्टेसुदा आबादी भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा हूँ किन्तु अभी कुछ समय पूर्व जब मैने आबादी आराजी के ऑनलाइन फीड किये गये राजस्व नक्शा ट्रेस को देखा तो उसमें प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित आबादी आराजी नम्बर 5115／2034 के पूर्वी हिस्से पर अकारण ही क्रमशः दोला पिता केरिंग भील निवासी नान्दवेल की खातेदारी की आराजी नम्बर 4954／2034, सरकारी आराजी नम्बर 2034 एवं नगर विकास प्रयान्स उदयपुर की खातेदारी की आराजी नम्बर 5026／2034 को गलत तरमीम कर देने का ज्ञान हुआ। जबकि इन आराजीयात को पूर्व के राजस्व नक्शा ट्रेस में पैमुद अनुसार ही सेग्रीगेशन के दौरान ऑनलाइन फीड हुवे नक्शे में तरमीम कर पैमुद किया जाना चाहिए था। मुझ प्रार्थी को नक्शा ट्रेस में आबादी की भूमि में इन आराजीयात का गलत तरमीम होने के बारे में ज्ञात होने पर मैने इसके सम्बन्ध में जानकारी कराई तो सेग्रीगेशन के दरमियान रेवेन्यु एजेन्सी द्वारा गफलत पूर्वक आबादी आराजी नम्बर 5115／2034 की सीमा में इन आराजीयात को गलत तरमीम करने का पता चला।

4. यहकि आबादी आराजी नम्बर 5115／2034 के पूर्वी सीमा के सटमा मुझ प्रार्थी की वाणिज्यिक सम्परिवर्तनसुदा आराजी नम्बर 4713／2034, 5221／4713 की भूमिया है जो रेवेन्यु रेकार्ड में मुझ प्रार्थी के नाम पर दर्ज है तथा आराजी नम्बर 4713／2034 के एकदम सटमा ही आबादी आराजी नम्बर 5115／2034 में मुझ प्रार्थी का पूर्व से पश्चिम 100 फीट एवं उत्तर से दक्षिण 82.5 फीट कुल 8250 वर्गफीट का पट्टेसुदा आबादी भूखण्ड स्थित है और इस आबादी भूखण्ड में से होकर ही मेरी वाणिज्यिक आराजी नम्बर 4713／2034, 5221／4713 पर आवागमन करने का रास्ता है और आज भी आबादी भूमि में स्थित मेरे प्लोट में से होकर ही इन वाणिज्यिक सम्परिवर्तनसुदा भूमियों पर आवागमन कर रहा हूँ। मेरी इन दोनों आराजीयात को वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में रेवेन्यु एजेन्सी द्वारा जो कार्यवाही की गई थी उसमें भी मेरी इन वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तित हुई भूमि के पश्चिमी दिशा के सटमा आबादी भूमि आराजी नम्बर 5115／2034 होना अंकित किया था।

5. यहकि इस तरह आबादी आराजी नम्बर 5115／2034 की भूमि में रेवेन्यु एजेन्सी द्वारा सेग्रिगेशन के दौरान अकारण आराजी नम्बर 2034, 5026／2034, 4954／2034 को गलत तरमीम कर राजस्व नक्शा ट्रेस में जानबूझकर अशुद्धि उत्पन्न कर दी गई है जिससे मुझ प्रार्थी को मेरी आबादी एवं वाणिज्यिक [illegible] उपयोग उपभोग करने में एवं भूमियों को विकसित करने के साथ इस [illegible] निर्माण इत्[illegible] कराने में भारी अड़चन का सामना करना

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram
Damor
Date: 2024.08.07 17:04:51 IST
Reason: SelfAttested

पड़ रहा है और बैंक, वित्तिय संस्था से ऋण आदि प्राप्त करने में भी कठिनाई हो रही हैं। जबकि पूर्व के नक्शे एवं वर्तमान राजस्व नक्शे को खुली आँखो से देखने मात्र से ही सब कुछ स्पष्ट हो रहा है कि सेग्रीगेशन के दरमियान रेवेन्यु एजेन्सी द्वारा राजस्व नक्शे में गफलत करते हुए अशुद्धि उत्पन्न की हैं।

6. यहकि मुझ प्रार्थी ने सेग्रीगेशन के कार्य के दरमियान राजस्व नक्शा में हुई इस गफलत (गलत तरमीम) को दुरूस्त करवाने हेतु तहसीलदार एवं पटवारी के समक्ष हाजिर होकर निवेदन किया गया तो इनके द्वारा नक्शे में सेग्रिगेशन के दरमियान हुई इस गफलत (गलत तरमीम) को दुरूस्त करने में असमर्थता प्रकट करते हुए राजस्व नक्शे में सही तरमीम एस०डी०एम० सा० के आदेश से ही होने की हिदायत दी। इसलिये अविलम्ब यह प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।

7. यहकि आबादी की आराजी नम्बर 5115/2034 एवं 4713/2034, 5221/4713 के बीच में अन्य आराजीयात को सेग्रीगेशन के दौरान राजस्व अधिकारियों द्वारा राजस्व नक्शा ट्रेस में गलत तरमीम कर दिये जाने से मुझ प्रार्थी को भारी असुविधा एवं कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा हैं एवं मैं मेरी आबादी भूमि एवं वाणिज्यिक भूमि का उचित उपयोग नहीं कर पा रहा हूँ जिससे मुझ प्रार्थी को भारी मानसिक पीड़ा भी भोगनी पड़ रही है और आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा हैं। इसलिये मैं प्रार्थी पूर्व के राजस्व नक्शे अनुसार आबादी की आराजी नम्बर 5115/2034 के भाग में गलत अंकित आराजी नम्बर 2034, 5026/2034, 4954/2034 को हटवाकर राजस्व नक्शा ट्रेस में सही तरमीम करवाकर आबादी आराजी की पूर्ववत स्थिति बहाल कराने का अधिकारी हूँ इसीलिए आप न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र मेरी और से प्रस्तुत किया जा रहा है।

8. यहकि मुझ प्रार्थी को राजस्व नक्शा ट्रेस में आबादी की आराजी नम्बर 5115/2034 एवं 4713/2034, 5221/4713 के बीच में आराजी नम्बर 2034, 5026/2034, 4954/2034 का गलत तरमीम होने की जानकारी दिनांक 01.02.2024 को ऑनलाइन फीड हूवे राजस्व नक्शा ट्रेस को देखने पर हुई और जानकारी होते ही वांछित दस्तावेज प्राप्त करके यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि पेश किया जा रहा है।

9. अतः प्रार्थना है कि मुझ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित आबादी आराजी नम्बर 5115/2034 के भाग (सीमा) में गलत अंकित आराजी नम्बर 2034, 5026/2034, 4954/2034 को हटाया जाकर पूर्व के नक्शे में पैमुद अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस में सही तरमीम कराये जाने का उचित आदेश फरमाया जावें।

Signature Not Verified

10. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर वि[illegible] को जरिये नोटिस तलब किया गया। राजपेरोकार द्वारा रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार ग्राम

Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.08.07 17:04:51 IST
Reason: SelfAttested

धूणीमाता पूर्व ग्राम नाहरनगरा का मूल खसरा संख्या 2034 रकबा 47 बीघा होकर बिलानाम सरकार दर्ज रिकॉर्ड था। यह कि उक्त खसरा संख्या में भिन्न भिन्न आदेशों से आवंटन हुए एवं मौके पर आवन्टी काबिज होते गये।

11. यह कि वर्तमान खसरा न 2034 रकबा 0.0890 (0–11 बीघा) किस्स बिलानाम आबादी, खसरा न 5026/2034 रकबा 0.0243 (0–03 बीघा) किस्म वाडा नगर विकास प्रन्यास उदयपुर, खसरा नम्वर 4954/2034 रकबा 0.3237 (2–00 बीघा) दोला पिता केरींग भील सा. देह खातेदार, खसरा न. 5115/2034 रकबा 0.6556 (4–01 बीघा) आबादी ग्राम पंचायत नान्दवेल एवं खसरा न 4713/2034 रकबा 0.1214 (0–16 बीघा), खसरा न 5221/2034 रकबा 0.1214 (0–15 बीघा) कन्हैयालाल दिना नंदा डांगी के नाम दर्ज रेकार्ड है एवं खसरा नम्बर 5070/2034 रकबा 0.4290 (2–13 बीघा) भवन पक्ष निर्माण विभाग सावनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज है।

12. यह कि मौके पर खसरा न. 4954/2034 रकबा 0.3237 (2–00 बीघा) का खातेदार दोला पिता केरिग भील सा देह का ऑनलाइन राजस्व नक्शे दर्शाये गये स्थान पर कहीं कोई कब्जा नहीं है एवं ना ही मूल खसरा नम्बर 2034 के किसी भाग पर काबिज है।

13. यह कि खसरा न. 4954/2034 की तरमीम रिकार्ड ऑनलाइन होने से पूर्व नक्शा लट्टा शीट में नहीं थी एवं न ही खातेदार का कब्जा था जबकि नक्शा लट्ठा शीट में खसरा न. 5115/2034 एवं प्रार्थी के खसरा नम्बर 4713/2034 की सीमा मिली हुई थी।

14. यह कि खसरा न. 4954/2034 के आवंटन पत्रावली में उपलब्ध नक्शा वर्तमान ऑनलाइन नक्शा अनुसार नही है एवं मूल नक्शा लट्ठा शीट में भी तरमीम नहीं है।

15. यह कि ऑनलाइन नक्शे में गलती का मुख्य कारण खसरा न. 1992 रकबा 2.7761 हेक्टेयर (17–03 बीघा) पुरानी सडक जो कि भवन पथ निर्माण विभाग की जगह सडक हेतु अवाप्त कि गई भूमि खसरा न 5070/2034 रकबा 0.4290 (2–13 बीघा) की गलत तरमीम होने से एवं रिकार्ड को वन–टू–वन करने की दृष्टि से खसरा नम्बर 4954/2034 की तरमीन बिना मौका, रिकार्ड एवं रकबाबरारी (क्षेत्रफल गणना) किये रिकार्ड को वन–टू–वन करने से हुई है। जब कि अवाप्त शुदा खसरा न 5070/2034 की तरमीम मूल खसरा न. 2034 के अन्दर होनी चाहिए थी।

16. यह कि रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार मूल खसरा नम्बर 2034 में विभिन्न आदेशों से आबंटित भूमि नक्शा ऑनलाईन से पूर्व नक्शा लठा शीट एवं जमाबन्दी अनुसार खसरों की रकबा बराबरी एवं मौका अनुसार मूल खसरा नम्बर 2034 रकबा 47 बीघा मौका एवं रिकॉर्ड अनुसार नक्शा तैयार किया गया। जिसमें खसरा नम्बर 2034 की नक्शा लट्ठा शीट एवं मौका अनुसार तरमीम सही क[illegible] रकबा 0.3000, 0.0237, 0.1720 हैक्टेयर कुल रकबा 0.47577 हैक्टेयर [illegible]रिया अलग–[illegible] जगहों पर अतिरिक्त आता है। जो कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.08.07 17:04:51 IST
Reason: SelfAttested

सलंग्न नक्शा ट्रेस में लाल रंग से दर्शाया गया है। उक्त अतिरिक्त भाग पर अनाधिकृत व्यक्तियों के कब्जे है।

17. अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का मय मौका पर्चा, नक्शा ट्रेस, नक्शा लट्ठा प्रति, रकबा बरारी अनुसार नक्शा की प्रति, ऑनलाईन नक्शा शीट, गूगल नक्शा एवं जमाबन्दी नकल मूल ही सलंग्न कर श्रीमान् की सेवा में सादर प्रेषित है।

18. हमने प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी व राजपेरोकार की बहस को सुना। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा प्रकरण को मेरिट पर निस्तारित किया जाने का निवेदन किया।

19. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार घासा से प्राप्त रिपोर्ट पत्रांक 375 दिनांक 26.07.2024 का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर मौजा धुणीमाता पटवार हल्का नाहरमगरा की आराजी नम्बर 1992 रकबा 2.7761 हेक्टेयर भूमि के नक्शें में दो भागो में विभाजन कर दिया तथा एक भाग में आराजी नम्बर 1992 एवं दुसरे भाग में अवाप्तशुदा आराजी नम्बर 5070/2034 अंकित कर दिया गया जबकि गत भू माप में आराजी नम्बर 1992 एक ही भाग था तथा इसके समान्तर में आराजी नम्बर 2034 से अवाप्त की गई भूमि का आराजी नम्बर 5070/2034 बना। इस प्रकार उक्त रिकार्ड में यह त्रुटि की गई। इसी प्रकार अवाप्तशुदा भूमि में आराजी नम्बर 5115/2034 अंकित करते हुए खातेदार के नाम दर्ज कर दी गई। इस तथ्य को तहसीलदार घासा द्वारा भी स्वीकार किया गया हैं। उक्त त्रुटि तहसीलदार ऑनलाईन के समय सेग्रीगेशन के दौरान होना पाया गया हैं, जिसे सुधाराजाना आवश्यक प्रतीत होता हैं। तहसीलदार घासा ने भी अपनी रिपोर्ट में भी स्पष्ट अंकित किया है कि नक्शें में गलती का मुख्य कारण खसरा नम्बर 1992 रकबा 2.7761 हेक्टेयर (17–03बीघा) पुरानी सडक जो कि भवन पथ निर्माण विभाग की जगह सडक हेतु अवाप्त की गई भूमि खसरा न. 5070/2034 रकबा 0.4290 (2–13 बीघा) की गलत तरमीम होने से एवं रिकार्ड को वन–टू–वन करने की दृष्टि से खसरा नम्बर 4954/2034 की तरमीम बिना मौका, रिकार्ड एवं रकबाबराबरी (क्षेत्रफल गणना) किये रिकार्ड को वन–टू–वन करने से हुई है जबकि अवाप्तशुदा खसरा नम्बर 5070/2034 की तरमीम मूल खसरा नम्बर 2034 के अन्दर होनी चाहिए थी। अतः प्रार्थी उक्त तरमीम की शुद्धि कराने के अधिकारी हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.08.07 17:04:51 IST
Reason: SelfAttested

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 133 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा धुणीमाता पटवार हल्का नाहरमगरा की के आराजी नम्बर 1992, 5070/2034 को संलग्न प्रस्तावित नक्शें अनुसार, जो सेग्रीगेशन से पूर्व के नक्शे अनुसार प्रस्तावित किया गया है अर्थात मूल लट्ठा नक्शा अनुसार राजस्व रिकार्ड में तरमीम किया जावें। इसी प्रकार मूल आराजी नम्बर 2034 के भागो की भी तरमीम संलग्न प्रस्तावित नक्शें अनुसार, जो सेग्रीगेशन से पूर्व के नक्शे अनुसार प्रस्तावित किया गया है अर्थात मूल लट्ठा नक्शा अनुसार राजस्व रिकार्ड में तरमीम किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार घासा को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मनसुख राम डामोर)
उपखण्ड अधिकारी
मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.08.07 17:04:51 IST
Reason: SelfAttested